उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या– 555 / नौ–5–2008–370सा / 06
लखनऊ : दिनांक : 24 जनवरी, 2008

कार्यालय–ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा कियान्वित 'जवाहरलाल नहेरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन' (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) तथा 'अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स' (यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0) योजनाओं के समरूप राज्य सरकार द्वारा एक लाख से कम की आबादी वाली निकायें और जिनको यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी योजना से आच्छादित नहीं किया गया है, में अवस्थापना सुविधाओं यथा–पेयजल, सीवरेज, जल समूह संरचना, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन), स्लाटर हाउस, सड़कें, मार्ग प्रकाश व्यवस्था व अन्य सार्वजनिक सुविधायें इत्यादि के विकास हेतु 'आदर्श नगर योजना' लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्न है।

2– तदनुसार 'आदर्श नगर योजना' के कियान्वयन तथा योजनान्तर्गत नगरीय निकायों एवं योजनाओं के चयन हेतु मा0 नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त समिति का प्रारूप निम्नवत होगा :–

1.	मा0 नगर विकास मंत्री जी	– अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग	– सदस्य
3.	सचिव, नगर विकास विभाग	– सदस्य
4.	सचिव, शहरी समग्र विकास विभाग	– सदस्य
5.	नियोजन विभाग का प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से निम्न न हो	– सदस्य
6.	वित्त विभाग का प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से निम्न न हो	– सदस्य
7.	निदेशक, सूडा, लखनऊ	– सदस्य
8.	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक	– सदस्य
9.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम	– सदस्य
10.	निदेशक, स्थानीय निकाय	– सदस्य राचिव

संलग्नक : यथोक्त।

एस0आर0 लखेरा
प्रमुख सचिव।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

शासनादेश संख्या- 555 /9-5-2008-370मा/2006 दिनांक 24-1-2008 का संलग्नक ।

आदर्श नगर योजना हेतु दिशा–निर्देश

प्रस्तावना– इस योजना के अन्तर्गत मध्यम एवं छोटे श्रेणी के नगरों में नियोजित तरीके से अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना।

उद्देश्य– इस योजना का मुख्य उद्देश्य है–

- छोटे एवं मध्यम नगरों की अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लाटर हाउस, सड़क, मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करना।
- नगरों एवं कस्बों का समेकित नियोजित विकास को प्रोत्साहन देना।

योजना का आच्छादन– यह योजना प्रदेश के 2001 की जनसंख्या के अनुसार एक लाख से कम जनसंख्या वाली नगरीय निकायों में लागू होगी ('जवाहरलाल नहेरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन' (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) तथा 'अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स' (यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0) से आच्छादित निकायों को छोड़कर)। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय निकायों का चयन उनकी क्षमता तथा उपलब्धि/कार्य निष्पादन के मूल्यांकन पर आधारित है। अतः इस योजना में निम्न निकायों को प्राथमिकता दी जायेगी:–

1. जिनकी आय शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो।
2. नियमानुसार निर्धारित जलमूल्य का आरोपण किया गया हो।
3. निकाय में गृह कर आरोपित किया गया हो तथा कम से कम 80 प्रतिशत भवन करआच्छादित हों तथा गत 5 वर्ष में कराच्छादन की दरों का पुनरीक्षण किया गया हो।

योजना के अर्न्तगत अनुमन्य अवयव– प्रश्नगत योजना में नागरिक सुविधाओं की सभी परियोजनायें, जलापूर्ति एवं सीवरेज सहित, पर सहायता प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। योजना में निम्नलिखित अवस्थापना संबंधी योजनाएं ली जा सकती है–

- जलापूर्ति योजना
- सालिड वेस्ट मेनेजमेंट योजना
- सीवरेज योजना
- जल निकासी हेतु नाले एवं नालियों का निर्माण
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं जल स्रोतों का संरक्षण
- यातायात सुधार हेतु ट्रेफिक सिग्नल, चौराहों व स्टैण्ड पार्किंग इत्यादि का विकास
- स्लाटर हाउस एवं कारकरा यूटिलाइजेशन (पी0पी0पी0 आधार)
- मार्ग प्रकाश व्यवस्था
- हेरिटेज क्षेत्र का पुनरोद्धार

created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

वित्तीय व्यवस्था-- इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत धनराशि तथा नगरीय निकाय द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि का वहन किया जाये। जो स्थानीय निकाय उक्त 10 प्रतिशत धनराशि अपने संसाधनों से वहन करने में असमर्थ हों, उनके मामले में अधिकतम 5 प्रतिशत की सीमा का अंश सांसद/विधायक निधि से प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु ऐसी दशा में भी 5 प्रतिशत का अंश उन्हें अपने संसाधनों से वहन करना अनिवार्य होगा।

लेखा परीक्षा की व्यवस्था– योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का नियमानुसार पृथक लेखा–जोखा रखा जायेगा तथा लेखा परीक्षण नियमानुसार कराया जायेगा।

योजना तथा नगरीय निकायों का चयन – (1) नगरीय निकाय तथा योजना का चयन मा0 नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका प्रारुप निम्नवत होगा–

1.	मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग	– अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग	– सदस्य
3.	सचिव, नगर विकास विभाग	– सदस्य
4.	सचिव, शहरी रागग्र विकास विभाग	– सदस्य
5.	नियोजन विभाग का प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से निम्न न हो	– सदस्य
6.	वित्त विभाग का प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से निम्न न हो	– सदस्य
7.	निदेशक, सूडा, लखनऊ	– सदस्य
8.	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक	– सदस्य
9.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम	– सदस्य
10.	निदेशक, स्थानीय निकाय	– सदस्य सचिव

(2) यह समिति निकायों के चयन की प्राथमिकता का निर्धारण करेगी।

(3) समिति योजना की स्वीकृति पर विचार करते समय, संबंधित निकाय के प्रतिनिधि द्वारा योजना का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

(4) समिति राज्य सरकार के बजट धनराशि के सापेक्ष दो गुने तक की परियोजनायें स्वीकृत कर सकेगी ।

(5) समिति पेयजल, सालिड वेस्ट, जल निकासी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं जल स्रोतों का संरक्षण, यातायात सुधार के कार्यों की उपरोक्तानुसार परियोजनाओं में प्राथमिकता देगी ।

(6) बुन्देलखण्ड क्षेत्रों की जलापूर्ति से संबंधित योजनाएं जल संस्थान/जल निगम द्वारा भी प्रेषित की जा सकेंगी तथा योजना में नगरीय निकाय का 10 प्रतिशत अंश जल संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) योजना की डीपीआर बनाने एवं कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था का चयन समिति द्वारा किया जायेगा तथा डीपीआर हेतु योजना के 1.5 प्रतिशत तक की धनराशि अनुमन्य होगा।

(8) समिति द्वारा योजना का अनुश्रवण एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(9) समिति द्वारा योजना/नगरीय निकाय की योजना का चयन किए जाने के पश्चात मूल्यांकन व्यय–वित्त समिति के अनुमोदनोपरान्त ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

(10) इसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा पृथक से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा।

(11) योजना में सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के संचालन और रख–रखाव की व्यवस्था के संबंध में पहले से ही स्थानीय निकाय द्वारा व्यवस्था कर ली जाय। इस संबंध में योजना के लिये गठित समिति पहले से ही यह सुनिश्चित कर लेगी कि संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है।

राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी – इस योजना की नोडल एजेन्सी तकनीकी सेल, स्थानीय निकाय निदेशालय होगा। इस नोडल एजेन्सी का निम्न दायित्व होगा–

(1) नगरीय निकायों/जल संस्थानों से परियोजना के प्रस्ताव प्राप्त करना।
(2) नगरीय निकायों/जल संस्थानों से प्राप्त परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन करना ।
(3) राज्य सरकार से प्राप्त फण्ड का प्रबन्धन।
(4) योजना में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुरुप धन का वितरण करना।
(5) प्रत्येक माह योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा कर प्रमुख सचिव नगर विकास को रिपोर्ट प्रेषित करना तथा दी गयी धनराशि को 12 माह में उपयोगिता प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना।
(6) योजना में प्रस्तावित सुधारों का कियान्वयन कराना।

योजना का मूल्यांकन –

(1) नगरीय निकाय/जल संस्थान द्वारा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तकनीकी सेल स्थानीय निकाय निदेशालय को प्रस्तुत की जायेगी।
(2) तकनीकी सेल परियोजना का मूल्यांकन कर, स्वीकृत समिति की बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व अध्यक्ष स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ताकि समिति के सदस्य अपना पक्ष योजना के बारे में रख सकें।

योजना में नगरीय निकायों द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तावित सुधार–

इस हेतु नगरीय निकायों को प्रदेश सरकार एवं स्थानीय निकाय निदेशालय के मध्य अनुबन्ध करना होगा, जिसमें योजना की अवधि के अन्तर्गत निम्न सुधार नगरीय निकायों को करने होंगे:–

(1) समयबद्ध सुधार– परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय निम्न सुधारों का नगरीय निकाय के बोर्ड का प्रस्ताव उपलब्ध कराना अनिवार्य है:–

1. उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत धारा 128 में वर्णित करों, गृहकर, जल कर का निकायों में आरोपण प्रथम वर्ष में करना।
2. प्रत्येक 5 वर्ष में करों का पुनरीक्षण तथा लम्बित करों के पुनरीक्षण को योजना अवधि में अद्यातधिक करना।

ated with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3. 2 प्रतिशत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर कर का आरोपण प्रथम वर्ष में करना।
4. नियमानुसार निकायों में जल-मूल्य की दरों को प्रथम वर्ष में लागू करना।

(2) चरणबद्ध सुधार - निकाय द्वारा योजना की स्वीकृति से प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कम से कम 02 सुधार कराये जायेंगे:-

1. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 39 मदों पर लाइसेंस शुल्क का आरोपण करना।
2. निकाय स्थित भवनों में से 90 प्रतिशत भवनों को कराच्छादनयुक्त कर तथा निकाय की कुल मांग का 85 प्रतिशत वसूली करना।
3. निकाय में पब्लिक डिसक्लोज़र लॉ लागू करना तथा निकाय की वेबसाइट विकसित करना।
4. निकाय में जन्म मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं सम्पत्ति-कर में कम्प्यूटराइजेशन का उपयोग करना।
5. निकाय के बजट का न्यूनतम 15 प्रतिशत धनराशि मलिन बस्तियों के विकास पर व्यय करना।
6. निकाय में स्थित भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन देना तथा नये भवनों में अनिवार्य रुप से लागू करना।

योजना का अनुश्रवण-

1- राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी, स्थानीय निकाय निदेशालय इन योजनाओं का अनुश्रवण करेगी तथा प्रतिमाह प्रगति रिपोर्ट नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भेजी जायेगी।

2- संबंधित विशेष सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा जो प्रत्येक तिमाही को योजना का अनुश्रवण करेगा।

योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने की प्रकिया-

1- योजना का मूल्यांकन प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय-वित्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त राज्य सरकार अपने अंश का 50 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को अवमुक्त करेगी।

2- योजना की मूल्यांकित लागत की 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रुप में स्वीकृत की जायेगी तथा प्रथम किश्त की धनराशि का 70 प्रतिशत (राज्य एवं निकाय का अंश मिलाकर) उपभोग हो जाने के पश्चात् द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3- राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी, निकायों को धनराशि का आवंटन तभी करेगी जब निकायों द्वारा परियोजना लागत के सापेक्ष अपने अंश की 10 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com